रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082021-228810
CG-DL-E-06082021-228810

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 443] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 6, 2021/श्रावण 15, 1943
No. 443] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 6, 2021/SHRAVANA 15, 1943

कोयला मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अगस्त, 2021

सा.का.नि. 542(अ).—खनिज रियायत नियम, 1960 में खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 की संख्या 67) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित और अधिक संशोधन करने के लिएकुछ नियमों का निम्नलिखित मसौदाएद्तद्वारा प्रकाशित किया जाता है जैसा कि इसके द्वारा प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों को सूचित करने के लिए उक्त धारा के तहत अपेक्षित है और एद्तद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त मसौदा नियमों पर उस तारीख से तीस दिनों की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार किया जाएगा जिस पर इन नियमों वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करायी जाती हैं;

उक्त निर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी व्यक्ति से प्राप्त होने वाली आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;

आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, अवर सचिव (पी एंड एस-I अनुभाग), कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, कक्ष संख्या 350, ए-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली 110001 को भेजे जा सकते हैं या rishan.r75@nic.inपर ई-मेल किए जा सकते हैं।

मसौदा नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ- (1) इन नियमों को खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 कहा जा सकता है।

(2) ये भारत के राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. खनिज रियायत नियम, 1960 (इसके बाद मूल नियम के रूप में संदर्भित) केखंड (vii) के बाद नियम 2, उप-नियम (1) मेंनिम्नलिखित जो़ड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"(viiक) "रन-ऑफ-माइन" का अर्थ है पट्टा क्षेत्र के खनिजयुक्त क्षेत्र सेविस्फोट या खुदाई केपश्चात्अपनी प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त कच्चा, असंसाधित या अनक्रश्ड पदार्थ;"

3. मूल नियमों में, नियम 24ख के बाद निम्नलिखित नियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्;-

"24ग. सरकारी कंपनियों या निगमों को दी गई खनन पट्टे की अवधि —

1. सरकारी कंपनी या निगम को कोयला या लिग्नाइट के लिए खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ पर या उसके बाद दिए गए सभी खनन पट्टे पचास वर्षों की अवधि के लिए होंगे।
2. कोयला या लिग्नाइट के लिए खनिज रियायत (संशोधन) नियम, 2021 के प्रारंभ से पहले सरकारी कंपनी या निगम को दिए गए सभी मौजूदा खनन पट्टों को पचास वर्ष या 31 मार्च 2030 तक, जो भी बाद में हो, के लिए दिया गया माना जाएगा।
3. राज्य सरकार, खनन पट्टे की समाप्ति से कम से कम तीन महीने पहले सरकारी कंपनी या निगम द्वारा इस संबंध में आवेदन करने परखनन पट्टे की अवधि को एक बार में और बीस वर्षों की अवधि के लिए बढ़ाएगी।

   बशर्ते कि राज्य सरकार इस उप-नियम में निर्धारित समय सीमा के बाद विस्तार के लिए किए गए आवेदन में विलंब को क्षमा कर सकती है।

   परन्तु यह कि नीलामी के माध्यम से चयनित सरकारी कंपनी या निगम को खनन पट्टे की अवधि का विस्तार नहीं दिया जाएगा।
4. यदि राज्य सरकार द्वारा उप-नियम (3) में निर्दिष्ट समय के भीतर खनन पट्टे के विस्तार के लिए किए गए आवेदन का निपटान पट्टे की समाप्ति की तारीख से पहले नहीं किया जाता है, तो उस पट्टे की अवधि को तब तक बढ़ा हुआ माना जाएगा जब तक राज्य सरकार विस्तार का आदेश पारित नहीं करती है।
5. खनन पट्टे के नवीकरण के लिए सरकारी कंपनी या निगम द्वारा किए गए सभी आवेदनों, जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 16) के प्रारंभ होने की तारीख तक लंबित थे, को खनन पट्टे की अवधि बढ़ाने वाले आवेदन माने जाएंगे और उप-नियम (3) के प्रावधानों के अनुसार निपटाए जाएंगे।

4.मूल नियमों में, मूल नियमों के नियम 27 के पश्चात् निम्नलिखित नियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"27क. कैप्टिव खान के पट्टाधारक द्वारा कोयले या लिग्नाइट की बिक्री का तरीका

1. कोई भी पट्टाधारक, जहां कोयले या लिग्नाइट का उपयोग कैप्टिव उद्देश्य के लिए किया जाता है,खान से जुड़े अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता को पूरा करने के बाद, एकवित्तीय वर्ष में कोयले या लिग्नाइट के कुल उत्पादन केऐसे प्रतिशत तक कोयला या लिग्नाइट बेच सकता है जैसा कि धारा 8 की उप-धारा (5) के तहत अनुमति दी गई है।

   स्पष्टीकरण 1- इस नियम के प्रयोजन के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि एक वित्तीय वर्ष के लिए खान से जुड़े अंत्य उपयोग संयंत्र की आवश्यकता उस वित्तीय वर्ष या उसके किसी भाग में उक्त संयंत्र में खपत किए गए कोयले या लिग्नाइट की वास्तविक मात्रा होगी।

   स्पष्टीकरण 2 – इस नियम के उद्देश्य हेतु संबद्ध अंतिम उपयोग संयंत्र में उत्पादित, बिक्री किए गए और उपयोग किए गए कोयला अथवा लिग्नाइट की मात्रा और बिक्री की गई मात्रा पर अतिरिक्त राशि के भुगतान का आकलन रन-ऑफ-माइन के आधार पर किया जाएगा।

   स्पष्टीकरण 3 – किसी टेलिंग, रिजेक्ट अथवा मिडलिंग की बिक्री इस नियम तक सीमित नहीं होगी।
2. धारा 8 की उप-धारा (5) के अनुसार बिक्री किए गए कोयले अथवा लिग्नाइट की मात्रा के लिए अधिनियम की छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त राशि का भुगतान रॉयल्टी के भुगतान के समय पट्टाधारक द्वारा सरकार को किया जाएगा जो कि रॉयल्टी अथवा जिला खनिज फाउंडेशन और राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण ट्रस्ट अथवा

किसी अन्य वैधानिक भुगतान या निविदा दस्तावेज अथवा बोली प्रीमियम (जहां कहीं लागू है) के अतिरिक्त होगा।

3. वित्तीय वर्ष के अंत के एक माह के अंदर पूर्व के वित्तीय वर्ष में की गई बिक्री के लिए पट्टाधारक फार्म 'आर'में एक स्वत: घोषणा पत्र नामित प्राधिकरण, कोयला मंत्रालय, कोयला नियंत्रक संगठन और राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा।

4. इस नियम के उद्देश्य हेतु, यह स्पष्ट किया जाता है कि जैसाकि इस नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, कोयला अथवा लिग्नाइट की बिक्री हेतु प्रावधान से केंद्र सरकार के साथ पट्टाधारक द्वारा किए गए संबंधित समझौतों में निर्धारित पात्रता शर्तें एवं दक्षता मानक प्रभावित नहीं होंगे।

5. कोयले की बिक्री की अनुमति उस कंपनी अथवा निगम को आवंटित कोयला खानों से नहीं होगी जिन्हें शुल्क दर हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के आधार पर एक विद्युत परियोजना दी गई है(अल्ट्रा मेगा विद्युत परियोजनाओं सहित)।"

5.प्रधान नियमों में नियम 28 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:-

"28. पट्टों की समाप्ति:-

1. जहां खनन के पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के अंदर उत्पादन और प्रेषण आरंभ नहीं हुआ है, अथवा उत्पादन और प्रेषण आरंभ होने के बाद दो वर्षों की अवधि के लिए बंद कर दिया गया, वहां पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्षों की अवधि की समाप्ति पर अथवा उत्पादन एवं प्रेषण को बंद किए जाने पर, जैसा भी मामला हो, पट्टा समाप्त हो जाएगा।

2. खनन पट्टे की समाप्ति को राज्य सरकार द्वारा जारी एक आदेश के माध्यम से रिकार्ड किया जाएगा और पट्टाधारक को भी इसकी सूचना दी जाएगी।

3. जहां पट्टाधारक खनन पट्टे के निष्पादन की तारीख से दो वर्षों की अवधि के अंदर उत्पादन और प्रेषण को जारी नहीं रख सका अथवा उत्पादन एवं प्रेषण को जारी रख पाना उसके नियंत्रण में नहीं है, वह दो वर्षों की अवधि समाप्त होने से कम से कम तीन महीने पहले इसके कारणों को स्पष्ट करते हुए ऐसी दो वर्षों की अवधि को बढ़ाने और इसके बाद सिर्फ एक वर्ष की अवधि बढ़ाने के लिए राज्य सरकार को एक आवेदन प्रस्तुत कर सकता हैः

   यदि पट्टाधारक उपर्युक्त अनुबद्ध अवधि के अंदर आवेदन करने में असफल रहता है तो दो वर्षों की अवधि की समाप्ति के बाद पट्टा समाप्त हो जाएगा।

4. उप-नियम (3) के तहत किए गए आवेदन में निम्नलिखित को विस्तार से निर्दिष्ट किया जाएगा:

क. वे कारण जिनके लिए खनन प्रचालनों को आरंभ करना अथवा उत्पादन एवं प्रेषण को जारी रखना पट्टाधारक के लिए संभव नहीं है;

ख. किस प्रकार ये कारण पट्टाधारक के नियंत्रण से बाहर हैं;

ग. औरे ऐसे कारणों के प्रभाव को कम करने के लिए पट्टाधारक द्वारा उठाए गए कदम; तथा

घ. वह अवधि जिसके विस्तार मांगा गया है।

5 उप-नियम (3) के तहत प्रत्येक आवेदन पर 200/- रु. का शुल्क लगेगा।

6. उत्पादन एवं प्रेषण को जारी न रखने अथवा बंद करने के कारणों की पर्याप्तता एवं प्रामाणिकता की जांच करने के पश्चात राज्य सरकार उप-नियम (3) के तहत किए गए आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन माह की अवधि के अंदर अथवा खनन पट्टे की अवधि समाप्त होने की तारीख पर, जो भी पहले हो, ऐसे अनुरोध को स्वीकार करने अथवा रद्द करने का आदेश पारित करेगी।

बशर्ते कि यह खनन पट्टा उत्पादन और प्रेषण आरंभ करने में असफल रहने अथवा एक वर्ष की विस्तारित अवधि के अंदर उत्पादन एवं प्रेषण को जारी रखने में असमर्थता पर पट्टा समाप्त हो जाएगा।

बशर्ते कि ऐसा विस्तार पट्टे की संपूर्ण अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं दिया जाएगा।

7. राज्य सरकार ऐसे आदेश को जारी करने अथवा रिकॉर्डिंग के पंद्रह दिनों के अंदर उप-नियम (6) के तहत जारी अथवा उप-नियम (2) के तहत रिकॉर्ड किए गए आदेश की सूचना कोयला नियंत्रक संगठन, नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी और कोयला मंत्रालय को देगी।

6. प्रधान नियमों में नियम 28क को समाप्त कर दिया जाएगा।

7. प्रधान नियमों में, 64 ख नियम के लिए निम्नलिखित नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत:

"64 ख. प्रसंस्करण के अध्यधीन खनिजों के मामले में रॉयल्टी के भुगतान की मांग एवं उदाहरण

पट्टे के क्षेत्र के अंदर अथवा बाहर इसके प्रसंस्करण के निरपेक्ष रन-ऑफ-माइन कोयला अथवा लिग्नाइट पर रॉयल्टी चार्ज की जाएगी।

बशर्ते कि रॉयल्टी का भुगतान पट्टे के क्षेत्र से प्रेषण अथवा खपत के समय देय होगा।"

8. प्रधान नियमेंमें, नियम 64ग को समाप्त कर दिया जाएगा।

9. प्रधान नियमों में फार्म 'क्यू'के बाद फार्म 'आर'को जोड़ा जाएगा, नामत:-

फार्म आर

(खनन रियायत नियम, 1960 के तहत नियम 27 क, उप-नियम 4 देखें)

वित्त वर्ष 01 अप्रैल, 20 से 31 मार्च, 20………………………

वार्षिकीविवरण

सेवा में,

(i) नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी
कोयला मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली

(ii) कोयला नियंत्रक
कोयला नियंत्रक संगठन का कार्यालय
1, काउंसिल हाउस स्ट्रीट
लाल दिघी, बीबीडी बाग
कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700001

(iii) राज्य सरकार

(कोयला/लिग्नाइट का उत्पादन, प्रेषण और भंडार)
(मात्रा की यूनिट टन में)

1. खान का ब्यौरा:

(क)	भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आबंटित पंजीकरण संख्या (पट्टाधारक-स्वामी की पंजीकरण संख्या देने के लिए)	
(ख)	खान का कोड (भारतीय खान ब्यूरो द्वारा आबंटित)	
(ग)	खनिज का नाम (कोयला या लिग्नाइट):	
(घ)	खान का नाम	

2. खान का स्थान:

गांव	
डाक खाना	
तहसील- तालुक	
जिला	
राज्य	
पिन कोड	
फैक्स नं.	ई-मेल:
फोन नं.	मोबाइल:

3. पट्टाधारक – स्वामी का नाम और पता (फैक्स नं. और ई-मेल सहित) :

(क)	पट्टाधारक- स्वामी का नाम	
(ख)	पता	
(ग)	जिला	
(घ)	राज्य	
(ङ)	पिन कोड	
(च)	फैक्स नं.	ई-मेल:
(छ)	फोन नं.:	मोबाइल:
(ज)	पट्टाधारक का पंजीकृत कार्यालय	
(झ)	प्रभारी निदेशक	
(ञ)	ऐजेंट :	
(ट)	प्रबंधक:	

3. वार्षिक **ग्रेड-वार उत्पादन, ईयूपी आवश्यकता, ईयूपी उपयोग, बिक्री आदि।**

लिग्नाइट/ कोयले का ग्रेड	**पिट-हैड पर ओपनिंग स्टॉक (कैरिड फॉरवर्ड)**	**उत्पादन**	**ईयूपी आवश्यकता**	**ईयूपी उपयोग**	**बेची गयी मात्रा**	**पिट-हैड पर क्लोज़िंग स्टॉक**
कुल योग:						

4. घरेलू उद्देश्यों और निर्यात के लिए प्रभावी बिक्री-प्रेषण

लिग्नाइट/ कोयले का ग्रेड	*प्रेषण की प्रकृति (निर्दिष्ट करें घरेलू बिक्री या*	घरेलू उद्देश्य हेतु		निर्यात हेतु

	घरेलू अंतरण या कैप्टिव उपभोग या निर्यात में से कौन-सा है)	खरीददार/प्रेषिती की पंजीकरण संख्या/जीएसटीएन ##	प्रेषिती का नाम ##	मात्रा	बिक्री मूल्य (रू)	देश	मात्रा	एफओबी मूल्य (रू.)
कुल योग:								

##एक से अधिक खरीददार होने पर अलग से निर्दिष्ट करें।

टिप्पणी: खान स्वामियों को इनवॉइस की प्रति के साथ ऊपर उद्धृत कोयले या लिग्नाइट के प्रत्येक ग्रेड के लिए घरेलू बिक्री मूल्य – एफओबी मूल्य को प्रमाणित करना आवश्यक है (रिटर्न के साथ प्रस्तुत नहीं किया जाए, आवश्यकतानुसार उत्पादित किया जाए) ।

7. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान उत्पादन में वृद्धि-कमी-शून्य उत्पादन, यदि कोई हो, के कारण बताएं।

क)........
ख).........

8. पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष के दौरान ग्रेड-वार पूर्व-खान के मूल्य में वृद्धि-कमी, यदि कोई हो, के कारण बताएं।

क)............
ख)..............

स्थान ....
हस्ताक्षर......................
दिनांक .... पूरा नाम ....

पदनाम: स्वामी/एजेंट/खनन इंजीनियर/प्रबंधक
[फा. सं. 12012/2/2021-पीएस1]
बी.पी. पति, संयुक्त सचिव

टिप्पणी : मूल नियम दिनांक 11 नवंबर, 1960 के सं. जीएसआर 1398 (अ) द्वारा भाग II, खंड 3, उप खंड (।) में प्रकाशित किया गया था और जिसे दिनांक 29 मई, 2020 की सं. जी.एस.आर. 331(अ) द्वारा अंतिम रूप से संशोधित किया गया है।

MINISTRY OF COAL

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th August, 2021

G.S.R. 542(E).—The following draft of certain rules further to amend the Mineral Concession Rules, 1960, which the Central Government proposes to make, in exercise of powers conferred by Section 13 of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No.67 of 1957), is hereby published as required under the said section for informing all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration on or after the expiry of a

period of thirty days from the date on which the copies of the Gazette of India containing these rules are made available to public;

Objections and suggestions which may be received from any person within the period specified above will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary (P&S-I section), Ministry of Coal, Government of India, Room No.350, A-wing, ShastriBhawan, New Delhi 110001 or emailed at rishan.r75@nic.in.

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.—(1) These Rules may be called Mineral Concession (Amendment) Rules, 2021.

(2) These shall come into force on the date of their publication in Gazette of India.

2. In Rule 2, sub-rule (1) after clause (vii) of the Mineral Concession Rules, 1960 (hereinafter referred to as the principal rules) the following shall be inserted, namely;-

"(viia) "run-of-mine" means the raw, unprocessed or uncrushed material in its natural state obtained after blasting or digging, from the mineralised zone of a lease area;"

3. In the principal rules, after Rule 24B the following rule shall be inserted, namely;-

"24C. Period of mining lease granted to Government companies or corporations—

4. All mining leases granted on or after commencement of the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2021 to a Government company or corporation for coal or lignite shall be for a period of fifty years.
5. All subsisting mining leases granted to a Government company or corporation before commencement the Mineral Concession (Amendment) Rules, 2021 for coal or lignite shall be deemed to have been granted for fifty years or till 31st March 2030, whichever is later.
6. The State Government, upon an application made to it in this behalf by the Government company or corporation at least three months prior to the expiry of the mining lease, shall extend the period of the mining lease for a further period of twenty years at a time.

   Provided that the State Government may condone the delay in application for extension made after the time limit prescribed in this sub-rule.

   Provided further that no extension of period of mining lease shall be granted to a Government company or corporation that has been selected through auction.
5. If an application for extension of mining lease made within the time referred to in sub-rule (3) is not disposed by the State Government before the date of expiry of the lease, the period of that lease shall be deemed to have been extended till the State Government passes an order of extension.
6. All applications made by a Government company or corporation for renewal of mining lease which were pending as on the date of commencement of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Amendment Act, 2021 (16 of 2021) shall be deemed to be applications for extension of the period of the mining lease and shall be disposed of in accordance with the provisions of sub-rule (3)."

4. In the principal rules, after rule 27 of the principal rules, the following rule shall be inserted, namely;-

"27A. Manner of sale of coal or lignite by the lessee of a captive mine

1. Any lessee may, where coal or lignite is used for captive purpose, sell coal or lignite up to such per cent. of the total coal or lignite produced in a financial year, as allowed under sub-section (5) of section 8, after meeting the requirement of the end use plant linked with the mine.

   Explanation 1- For the purpose of this rule it is clarified that the requirement of the end use plant linked with the mine for a financial year shall be the actual quantity of coal or lignite consumed in the said plant in that financial year or a part thereof.

Explanation 2 - For the purpose of this rule, quantity of coal or lignite produced, sold, utilised in linked end-use plant and the payment of additional amount on the quantity sold shall be assessed on run-of-mine basis.

Explanation 3- Sale of any tailings, rejects or middlings shall not be restricted by this rule.

2. For the quantity of coal or lignite sold in accordance with sub-section (5) of section 8, the lessee shall pay to the State Government, at the time of payment of royalty, an additional amount as specified in the Sixth Schedule of the Act, which shall be in addition to royalty or payment to the District Mineral Foundation and National Mineral Exploration Trust or any other statutory payment or payment specified in the tender document or the auction premium (wherever applicable).
3. Within one month of the end of a financial year, for sale made in the previous financial year, the lessee shall submit to the Nominated Authority, Ministry of Coal, Coal Controller's Organization and to the State Government, a self-declaration in Form 'R'.
4. For the purpose of this rule, it is clarified that the provision for sale of coal or lignite as prescribed in this rule shall not affect the eligibility conditions and efficiency parameters prescribed in the respective agreements entered into by the lessee with the Central Government.
5. Sale of coal shall not be allowed from the coal mines allotted to a company or corporation that has been awarded a power project on the basis of competitive bid for tariff (including Ultra Mega Power Projects)."

5. In the principal rules, rule 28 shall be substituted by the following, namely:-

" **28. Lapsing of Leases**:-

1. Where production and dispatch has not commenced within a period of two years from the date of execution of the mining lease, or is discontinued for a continuous period of two years after commencement of production or dispatch, the mining lease shall lapse on the expiry of the period of two years from the date of execution of the lease or, as the case may be, discontinuance of the production and dispatch.
2. The lapsing of the mining lease shall be recorded through an order issued by the State Government and shall also be communicated to the lessee.
3. Where a lessee is unable to commence the production and dispatch within a period of two years from the date of execution of the mining lease or discontinuation of production and dispatch for reasons beyond his control, he may submit an application to the State Government, requesting for an extension of the period of such two years by a further period not exceeding one year, explaining the reasons for the same, at least three months before the expiry of such period of two years:

   Provided where the lessee has failed to make the application within the time stipulated above, the lease shall lapse on expiry of the period of two years.
4. Application made under sub-rule (3) shall specify in detail:

a. the reasons on account of which it will not be possible for the lessee to undertake mining operations or continue production and dispatch;

b. the manner in which such reasons are beyond the control of the lessee;

c. and the steps that have been taken by the lessee to mitigate the impact of such reasons; and

d. the period for which the extension is sought.

5. Every application under sub-rule (3) shall be accompanied by a fee of Rs. 200.
6. The State Government shall, after examining the adequacy and genuineness of the reasons for the non-commencement of production and dispatch or discontinuance thereof, pass an order, within a period of three months from the date of receipt of the application made under sub-rule (3) or the date on which the mining lease would have otherwise lapsed, whichever is earlier, either granting or rejecting such request:

   Provided that such mining lease shall lapse on failure to undertake production and dispatch or inability to continue production and dispatch within the extended period of one year.

Provided further that such extension shall not be granted for more than once during the entire period of lease.

7. The State Government shall communicate to the Coal Controller's Organization, Nominated Authority and Ministry of Coal the order recorded under sub-rule (2) or issued under sub-rule (6) within fifteen days of recording or issuing of such order."

6. In the principal rules, rule 28A shall be omitted.

7. In the principal rules, for rule 64B, the following rule shall be substituted, namely;-

"64B. Charging and instance of payment of royalty in case of minerals subjected to processing

The royalty shall be charged on run-of-mine coal or lignite irrespective of its processing within or outside the leased area.

Provided that the royalty shall be payable at the time of dispatch from or consumption within the leased area."

8. In the principal rules, rule 64C shall be omitted.

9. In the principal rules, after Form 'Q', the following Form 'R' shall be inserted, namely;-

Form R

(See rule 27A, sub-rule 4 under Mineral Concession Rules, 1960)

For the financial year 1st April, 20 to 31st March, 20 ____

ANNUAL RETURN

To

(i) The Nominated Authority
Ministry of Coal
ShastriBhawan, New Delhi

(ii) The Coal Controller
Office of the Coal Controller's Organization
1, Council House Street,
LalDighi, BBD Bagh
Kolkata, West Bengal-700001

(iii) State Government

(PRODUCTION, DISPATCHES AND STOCKS OF COAL/LIGNITE)

(Unit of Quantity in Tonnes)

1. Details of Mine:

(a)	Registration number allotted by Indian Bureau of Mines (to give registration number of the Lessee-Owner)	
(b)	Mine Code (allotted by Indian Bureau of Mines)	
(c)	Name of the Mineral (Coal OR Lignite):	
(d)	Name of Mine	

2. Location of the Mine:

Village	
Post Office	
Tahsil-Taluk	
District	
State	
PIN Code	
Fax No:	E-mail:
Phone No:	Mobile:

3. Name and address of Lessee-Owner (along with fax no. and e-mail):

(a)	Name of Lessee-Owner	
(b)	Address	
(c)	District	
(d)	State	
(e)	PIN Code	
(f)	Fax No.:	E-mail:
(g)	Phone No:	Mobile:
(h)	Registered Office of the Lessee	
(i)	Director in-charge	
(j)	Agent:	
(k)	Manager:	

3. Yearly **Grade-wise Production, EUP Requirement, EUP Utilisation, Sale etc.**

Lignite/ Grades of coal	**Opening stock at pit-head (Carried Forward)**	**Production**	**EUP Requirement**	**EUP Utilisation**	**Quantity Sold**	**Closing stock at pit-head**
Grand Total:						

4.. **Sales- Dispatches effected for Domestic Purposes and for Exports**:

Lignite/Grade of coal	Nature of Dispatch (*indicate whether*	For Domestic Purposes				For export		
		Registration number/	Consignee name ##	Quantity	Sale value	Country	Quantity	F.O.B Value(₹)

	Domestic Sale or Domestic Transfer or Captive consumption or Export)	GSTN of the buyer/ consignee ##			(₹)			
Grand Total:								

To indicate separately if more than one buyer.

NOTE:- Mine owners are required to substantiate domestic sale value- FOB value for each grade of coal or lignite quoted above with copy of invoices (not to be submitted with the return; to be produced whenever required).

7. **Give reasons for increase-decrease in production-nil production, if any, during the year compared to the previous year.**

a) .....
b) .....

8. **Give reasons for increase-decrease in grade wise ex-mine price, if any, during the year compared to the previous year.**

a) .....
b) ......

Place:………………… Signature……..………………

Date:…………………. Name in Full………..………………..

Designation: Owner/Agent/Mining Engineer/Manager

[F. No.12012/2/2021-PS1]

B.P. PATI, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 1398(E) dated the 11th November, 1960 and lastly amended vide number G.S.R. 331(E), dated the 29th May, 2020.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.08.06 22:20:31 +05'30'